न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर

बइजलास डॉ. दिव्या आर.ए.एस.

अनुवान बाबूलाल बनाम राजूराम आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88,55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र सं. 198/2023

निर्णय दिनांक 02/12/24

बाबूलाल पुत्र रावतमल जाति सोनी निवासी वार्ड नं.11 नया वार्ड नम्बर 14 बाडी बास सरदारशहर जिला चूरू (राज.)

—वादी

बनाम

1. राजूराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
2. हरिराम पुत्र बुधाराम जाति जाट निवासी मालसर तहसील भानीपुरा जिला चूरू
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

उपस्थितिः—

1. श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री पवन कुमार सोनी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. राजपैरोकार स्वंय वास्ते प्रतिवादी संख्या 03

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी गण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 तादादी 8.8900 हैक्टेयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा में स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का 485/889 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का क्रमशः 202/889—202/889 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकितानुसार चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1ता 2 अपने—अपने हिस्सों के मुताबिक मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है वादी के पिता रावताराम पुत्र औंकारमल के नाम से कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 145 तादादी 35 बीघा 3 बिश्वा रोही मालसर में स्थित थी जिस पर वादी के पिता अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त कृषि भूमि जरिये विरासतन इन्तकाल सख 1738 दिनांक 20.03.2012 को वादी एवं उसके परिवारजन के नाम खातेदारी दर्ज हुई जिसमें से वादी के नाम 8/9हिस्सा भूमि राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी दर्ज हुई तथा वादी के अन्य परिवारजन ने उक्त कृषि भूमि में से अपना—अपना हिस्सा वादी के नाम खातेदारी करवा दिया जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी में चली आ रही है। वादी की सयुंक्त खातेदारी कब्जा काश्त की वादगत कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 145 तादादी 35 बीघा 3 बि[illegible] आथूणी तरफ की 16 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जरिये रजि. विक्र[illegible] दिन[illegible]4.08.2012 को अपने परिवारजन की सहमती से विक्रय कर दी तथ आ[illegible] संख्या 1 व 2 को कब्जा सौंप दिया है तथा परिवारजन की खातेदारी कृषि भूमि वादी के नाम से खातेदारी में दर्ज हो [illegible] जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से खातेदारी में [illegible] चली हा रही है। एनेक्चर [illegible] जिसके

उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का मौके पर भूमि खरीद की दिनांक से आथूणी तरफ कब्जा काश्त चला आ रहा है।

वादगत कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 251 तादादी 8.8900 हैक्टेयर रोही मालसर में से वादी का 485/889 हिस्सा यानी 19 बिघा 3 बिस्वा (4.8500 हैक्ट.) पूर्वी तरफ की भूमि पर कब्जा काश्त दिनांक 20.08.2012 से लगातार निर्बाध एवं निर्विघ्न रूप से चला आ रहा है। वादी द्वारा वादगत कृषि भूमि गत खसरा नंबर 145 तादादी 35 बिघा 3 बिस्वा रोही मालसर में से पश्चिम तरफ की 16 बिघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को विक्रय की गयी थी। उसके बाद अपनी व अपने परिवारजन की शेष रही अगुणी (पूर्वी) तरफ की 19 बिघा 3 बिस्वा भूमि का वादी ने अपने हिस्से में करते हुए भूमि की सुरक्षार्थ चारों तरफ तार पट्टियां कर अपनी सम्पूर्ण भूमि को कवर कर रखा है और सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को बंटाईदार के रूप में काश्त हेतु अपने अभिकर्ता इन्द्राज पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी भोजरासर को रखा था जो पिछले 10 वर्षों से आज तक वादी का पूर्वी तरफ भूमि को बंटाईदार के रूप में काश्त करता आ रहा है।

वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी कृषि भूमि गत खसरा नंबर 145 तादादी 35 बिघा 3 बिस्वा में से पश्चिम दिशा की 16 बिघा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को विक्रय कर विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय पत्र अनुसार मौके पर कब्जा दे दिया था तथा विक्रय पत्र में भी स्पष्ट रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को आथूणी तरफ की 16 बिघा भूमि विक्रय करना अंकित किया है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 आज भी काबिज है विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2012 के दिन ही वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एवं उनके परिवारजन ने एक ईकरारनामा दिनांक 24.08.2012 को निष्पादित किया था कि उक्त भूमि में से 16 बिघा आथुणा पासे की भूमि का विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया। शेष पूर्व तरफ की 19 बिघा 3 बिस्वा भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। उसके संबंध में भविष्य में कभी कोई विवाद प्रतिवादीगण व उनके अन्य परिवारजन नहीं करेंगे। इस प्रकार वादगत कृषि भूमि वर्तमान ख. नं 251 तादादी 8.8900 हैक्टेयर रोही मालसर में से पूर्वी दिशा की 4.8500 हैक्टे. (19 बिघा 3 बिस्वा) भूमि वादी के तथा पश्चिम दिशा की 4.0400 हैक्टे. (16 बिघा) भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसके अनुसार वादी अपना खाता विभाजन करवाना चाहता है। वादगत कृषि भूमि खसरा नंबर 251 तादादी 8.8900 हैक्टैयर रोही मालसर तहसील भानीपुरा में से पूर्वी दिशा की कृषि भूमि परिवादी का कब्जा काश्त है जिसे संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है शेष पश्चिमी दिशा की भूमि पर प्रतिवादगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है जिससे नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में हरा रंग भरकर दर्शाया गया है। अपने अपने हिस्सा के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सदामत से लगातार बिना किसी विघ्न बाधा के स्वतंत्र रूप से काश्त करते आ रहे है। वादी अपनी कब्जा काश्त के आधार पर वादगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा का अलग खाता कायम करवाना चाहता है। जिसके लिए वादी की और से न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 झगड़ालु प्रवृति के व्यक्ति होने से एवं वादगत कृषि भूमि सयुक्त खातेदारी में दर्ज होने व संयुक्त खातेदारान की संख्या [illegible] वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी के लिये यह [illegible] कि वो अपने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से की कृषि भूमि [illegible] नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' दर्शाये लाल रंग व हरा रंग के अनुसार अलग खाता विभाजन करवाकर अलग खसरा कायम करवाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अलग अमलदामद करवाने कानूनी अधिकार [illegible] जिसके लिए वादी की और से दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। घोषित किया जावे कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 तादादी 8.8900 हैक्टेयर रोही मालसर में से पूर्वी दिशा की 485/889 हिस्सा यानी 4.8500 हैक्टेयर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है जिसे संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है तथा शेष पश्चिमी दिशा

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]शहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

की भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त है जिसे नजरी नक्शा में हरे रंग से दर्शाया गया है का खाता विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य कब्जा काश्त व विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2012 के आधार पर किया जावे । तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर अलग खाता एवं अलग खसरा किया जाकर अलग नक्शा तरमीम किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर सीगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 8.11.2024 को प्रतिवादीगण को सशुल्क तलब किया गया। पत्रावली में दिनांक 02.12.2024 को वादी अधिवक्ता उपस्थित आये और व दावा में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान में राजीनामा होने का कथन करते हुए मिसल को पेशी दिनांक 02.12.2024 में लिये जाने बावत मिशल पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मिशल को पेशी दिनांक 12.12.2024 से दिनांक 02.12.2024 में नियत किया जाकर पक्षकारान को सुना गया।

वाद वादी घोषणात्मक व विभाजन का होने एवं प्रतिवादी संख्या 3 राज. राज्य के विरूद्व कोई अनुतोष प्राप्ति नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 का जवाब बंद किया जाकर एवं वाद में प्रतिवादीगण का खण्डन नही होने के कारण वाद में साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वंय एवं जरिये अधिवक्ता श्री पवन सोनी उपस्थित आये और वकालतनाम प्रस्तुत किया जो रिकॉर्ड पर लिया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दावा में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा होने का कथन करते हुये पत्रावली फर्द अहकाम पर राजीनामा का अंकन किया तथा वाद वादी मुताविक अनुतोष स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपति नहीं होना जाहिर किया जिसके फलस्वरूप लोक अदालत की भावना के तहत राजीनामा के आधार पर वाद वादी मुताविक अनुतोष स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायालय उचित व न्यायोचित मानता है।

आदेश

वर्णित विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है और वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 तादादी 8.8900 हैक्टेयर रोही मालसर में वादी को नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में पूर्वी पासा की लाल रंग से दर्शाई गई भूमि 485/889 हिस्सा यानि 4.8500 हैक्टेयर भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में पश्चिमी पासे की हरे से दर्शाई गई भूमि 202/889–202/889 हिस्सा यानी 4.0400 हैक्टेयर(संयुक्त) का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय आदेश की पालना करें। एनेक्चर 'क' निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.12.24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)

अनुवान बाबूलाल बनाम राजूराम आदि

दावा अन्तर्गत धारा 88,55 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र सं. 198/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कालीचरण शर्मा एडवोकेट मिनजानिब-मुदई व श्री पवन कुमार सोनी, पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वर्णित विवेचन से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है फलस्वरूप वाद स्वीकार किया जाता है और वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 251 तादादी 8.8900 हैक्टेयर रोही मालसर में वादी को नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में पूर्वी पासा की लाल रंग से दर्शाई गई भूमि 485/889 हिस्सा यानि 4.8500 हैक्टेयर भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को नजरी नक्शा एनेक्चर 'क' में पश्चिमी पासे की हरे से दर्शाई गई भूमि 202/889–202/889 हिस्सा यानी 4.0400 हैक्टेयर(संयुक्त) का खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय आदेश की पालना करें। एनेक्चर 'क' निर्णय का भाग रहेगा।

....

....बीज .... मुबलिग ....

..........बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मोहर

डॉ. दिव्या(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा	रूपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	02	00	मिजान	01	00
मिजान	07	00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2025.05.02 12:34:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner